मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश।

टावर 1/2, चतुर्थ तल, पुलिस मुख्यालय, शहीद पथ, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226002

संख्याः पॉच-470(पुनर्विचार)2021 दिनांकः मई , 2022

आदेश

उपनिरीक्षक ना0पु0 को पूर्व चयन वर्षो में दण्ड प्रभावी होने के कारण निरीक्षक ना0पु0 पद पर अनुपयुक्त कर दिये जाने तथा बाद में दण्डादेश के अपास्त होने के फलस्वरूप अध्यक्ष, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के पत्र संख्याःपीआरपीबी-चार-1(18)/2017(भाग-8) दिनांकः 04-05-2022 द्वारा उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली-2015 में निहित निर्देशों के अन्तर्गत अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, ज्येष्ठता के आधार पर प्राधिकृत बोर्ड द्वारा पूर्व चयन वर्ष की रिक्ति के सापेक्ष निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाये जाने के फलस्वरूप पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के अनुमोदनोपरान्त उनके वर्तमान नियुक्ति स्थान पर ही उनके नाम के सम्मुख अंकित पूर्व चयन वर्ष में उनके कनिष्ठ कर्मी की तिथि से निरीक्षक ना0पु0 के पद पर पदोन्नति प्रदान किये जाने का आदेश पारित किया जाता है। इस पदोन्नति से कार्मिक को वित्तीय लाभ देय नही होगाः-

क0सं0	पीएनओ	कर्मी का नाम	पिता का नाम	चयन वर्ष	जनपद
1	052251245	प्रवीण कुमार सिंह	श्री राजेन्द्र सिंह	2016	लखनऊ ग्रामीण

2- याची/उ0नि0ना0पु0 प्रवीण कुमार सिंह, पीएनओ 052251245, जनपद लखनऊ द्वारा प्रश्नगत रिट याचिका में उसे प्रदत्त दण्डादेश संख्याः द-46/2016, दिनॉकः 28.10.2016 घटना तिथि 03.06.2016 को निर्देश याचिका संख्याः 874/2020 में मा0 अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनॉकः 20.05.2021 द्वारा अपास्त कर दिये जाने के फलस्वरूप कनिष्ठ कर्मी को प्रोन्नति प्रदान किये जाने की तिथि 28.02.2018 (चयन वर्ष 2016) से निरीक्षक ना0पु0 के पद पर पदोन्नति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नगत रिट याचिका योजित की गयी है, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय के पारित निर्णय दिनॉकः 04.02.2022 का प्रभावी अंश निम्नवत है :-

".....In view thereof, petitioner is permitted to make a fresh detailed representation to **respondent no.3-Additional Director General of Police, Karmik/Establishment,** Signature Building, Gomti Nagar Extension, Lucknow, raising all his grievance, annexing therewith a copy of this writ petition along with annexures and all the documents in support of his claim within a period of three weeks from today along with a computer generated/certified copy of this order. Rest of the respondents shall facilitate by submitting the relevant records/reports to respondent no.3 to facilitate him in passing the final order. In case such a representation is moved by petitioner, respondent no.3 shall consider and decide the same in accordance with law by a reasoned and speaking order within a **period of three months from** the date a computer generated/certified copy of this order along with representation is placed before him. It is made clear that this court has not applied itself on the merits of the case and all questions are left open to be considered and decided by the competent authority in accordance with law. With the aforesaid directions, present writ petition is disposed of."

3- पदोन्नति प्राप्त निरीक्षक ना0पु0 अपने नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेंगे तथा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे, जिसे सेवा नियमावली के प्रावधानों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा आगे बढ़ाया जा सकेगा। सफलता पूर्वक परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर सक्षम स्तर से आदेश निर्गत किये जायेंगे। पदोन्नति पाये कर्मियों के वर्तमान नियुक्ति का स्थान यदि स्थानान्तरण के कारण परिवर्तित हो गया हो तो उन्हें कार्यभार ग्रहण करने हेतु सूचित करेंगे। पदोन्नति प्राप्त निरीक्षकों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में समायोजन के दृष्टिगत अलग से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

4- पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित उपनिरीक्षक से संलग्न प्रारूप (क) में स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र लेकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शासनादेश संख्याः 13/21/89- का-1-1997, दिनॉकः 28.05.1997 के खण्ड-2 में दी गयी निम्नलिखित 03 परिस्थितियॉ :-

(क) यदि कार्मिक निलम्बित चल रहा है।

(ख) यदि कार्मिक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही या प्रशासनाधिकरण की कार्यवाही लम्बित है, जिसके लिये आरोप-पत्र जारी किया जा चुका है।

ISSU ORDER

(ग) यदि आपराधिक आरोप के आधार पर कार्मिक के विरूद्ध अभियोजन की कार्यवाही लम्बित है अर्थात न्यायालय में अभियोजन हेतु आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है।

उपरोक्त तीनों परिस्थितियॉ सम्बन्धित उपनिरीक्षक के विरूद्ध विद्यमान न हो।

5– यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा–पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर–3 में अंकित परिस्थितियॉ विद्यमान नहीं है तो सम्बन्धित उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस को निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा–पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर–3 में अंकित परिस्थितियॉ विद्यमान पायी जाती है तो सम्बन्धित उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के पदोन्नति आदेश का कियान्वयन न कराया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों सहित इस मुख्यालय को आख्या उपलब्ध कराते हुये दिशा–निर्देश प्राप्त किया जायेगा।

6– अध्यक्ष, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड से प्राप्त विभागीय चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति को पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के अनुमोदनोपरान्त प्रश्नगत रिट याचिका में याची/उ0नि0ना0पु0 प्रवीण कुमार सिंह पीएनओ 052251245 के प्रकरण पर प्राधिकृत बोर्ड (चयन समिति) द्वारा विचार किया जा चुका है तथा विचारोपरान्त निरीक्षक ना0पु0 के पद पर पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाया गया है।

7– अतएव रिट याचिका संख्या:479/2022 प्रवीण कुमार सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनॉक: 04.02.2022 के क्रम में याची/उपनिरीक्षक ना0पु0 प्रवीण कुमार सिंह पीएनओ 052251245 द्वारा की गयी याचना स्वीकार करते हुये निस्तारित किया जाता है।

संलग्नक–प्रारूप(क)

(सर्वेश कुमार राना)
पुलिस उपमहानिरीक्षक, स्थापना
निमित्त–अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि: पुलिस अधीक्षक, लखनऊ ग्रामीण को आदेश की दो प्रतियॉ इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि वे कृपया एक प्रति याची/उ0नि0ना0पु0 प्रवीण कुमार सिंह पीएनओ 052251245 को प्राप्त कराकर दूसरी प्रति पर प्राप्ति का हस्ताक्षर दिनॉक सहित इस मुख्यालय को वापस करने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को उक्त के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1– अध्यक्ष, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड उ0प्र0 लखनऊ।
2– अपर पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन लखनऊ।
3– पुलिस उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र लखनऊ।
4– पुलिस अधीक्षक, लखनऊ ग्रामीण।